HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 7268/2026
CNR: RJHC021069772026 | URN: CRLMP / 17792U / 2026

Smt. Pooja Mordia Wife Of Shri Mahesh Mordiya,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5025/2026
CNR: RJHC020731242026 | URN: CRLMP / 11633U / 2026

Rajesh Saini S/o Shri Sitaram Saini

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Dr. Suman Sharma, Adv. Mr. Saurabh Jain, Adv. Ms. Gayatri Korani, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tapesh Agrawal, PP Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP Mr. Amrit Kumar Surollia, Adv. Mr. Ashish Surollia, Adv. Mr. Aditya Surollia , Adv. Mr. Ramkishan, DCP Jamwa Ramgarh, Present in person.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/11/2026

एकलपीठ दांडिक विविध याचिका संख्या 7268/2026 में भी परिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत सुरोलिया द्वारा उपस्थिति दी गयी। दोनों ही प्रकरण एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, पूर्व में पारित आदेश की अनुपालना में अनुसंधान अधिकारी श्री रामकिशन, डी.सी.पी. जमवारामगढ केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट सहित न्यायालय में उपस्थित हैं।

Digitally signed by
ARUN KUMAR
MITTAL
Date: 2026.11.06
10:13:15 IST

एकलपीठ दांडिक विविध याचिका संख्या 7268/2026 की विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि दिनांक 11.10.2018 को अभियुक्त महेश मोरदिया ने अपनी अचल सम्पत्ति 2.83 हेक्टेयर 99,88,500/– रूपये में व्यक्तिगत रूप से खरीद की थी, परिवादी होटेलियर है तथा इस व्यवसाय का अनुभव होना बताकर इस भूमि पर होटल अथवा रिसोर्ट डवलप करने हेतु दिनांक 21.07.2022 को अभियुक्त महेश मोरदिया के साथ मिलकर मैसर्स इंफिनिटी ग्रीन प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी का गठन किया तथा जो भूमि अभियुक्त ने 99,88,500/– रूपये में दिनांक 11.10.2018 को खरीदी थी, वह चार साल बाद इस कम्पनी में उपरोक्त प्रयोजन के लिए 45,50,000/– रूपये में विक्रय की गयी है जो अपने आपमें याची–अभियुक्त की सद्भाविकता को प्रकट करता है। यह भी निवेदन किया कि बाद में इस भूमि पर होटल–रिसोर्ट आदि परिवादी नहीं बना पाया तथा उसने स्वेच्छया 24.04.2026 को इस्तीफा दिया तथा कम्पनी के सी.ए. द्वारा यह इस्तीफा रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज (आर.ओ.सी.) के कार्यालय द्वारा अपलोड़ किया जो बाद में मंजूर हुआ। यह भी निवेदन किया कि परिवादी द्वारा इस इस्तीफे को विवादित होना बताकर उस पर अपने हस्ताक्षर होने से इंकार किया है तथा दो माह बाद दिनांक 22.06. 2026 को आर.ओ.सी. कार्यालय एवं दिनांक 23.06.2026 को एन.सी.एल.टी. में कार्यवाही की है और उसके बाद बिना किसी उचित आधार के इस सिविल विवाद को आपराधिक रंग देते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.07.2026 को दर्ज करायी है।

अभियुक्त राजेश सैनी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि इस पूरे संव्यवहार में उसकी कोई भूमिका नहीं है, वह इस कम्पनी से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है , उसे अकारण दबाव बनाने के लिए मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है।

दोनों याचिकाओं के विद्वान अधिवक्तागण का संयुक्त निवेदन यह भी है कि विवाद पूर्णतः सिविल प्रकृति का है तथा पहले से ही मामला उचित फोरम पर लंबित है, इस कम्पनी में एक वरिष्ठ आई.पी.एस. अधिकारी के पिता पुष्कर दत्त भोमिया की भागीदारी है जो वस्तुतः स्वयं आई.पी.एस. अधिकारी की

भागीदारी है तथा उनके द्वारा ही अपने निजी बैंक खाते से इस कम्पनी में दिनांक 05.09.2022, 06.09.2022 तथा 08.09.2022 को राशि अन्तरित की है, उनके दबाव में ही पुलिस निष्पक्ष अनुसंधान नहीं कर सीधे ही दबाव बनाने के लिए अभियुक्तगण को गिरफ्तार करने पर आमादा है। यह भी कथन किया कि इस्तीफे के संबंध में स्वयं परिवादी को आर.ओ.सी. कार्यालय से ई–मेल प्राप्त हुआ था, तत्समय कोई खण्डन नहीं किया गया था। यह भी कथन किया कि संबंधित सी.ए. द्वारा दो बार पूछताछ की गयी थी। प्रथम चरण पर राजेश अथवा किसी अन्य वाहक का नाम उल्लेखित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में पुलिस द्वारा प्रभाव में आकर राजेश सैनी का नाम उल्लेखित किया गया है।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी का निवेदन है कि अभियुक्त राजेश सैनी, अभियुक्त महेश मोरदिया के साथ मुख्य षडयंत्रकर्ता है, मूल्यवान सम्पत्ति से निष्कासित करने के लिए अभियुक्तगण द्वारा षडयंत्र रचते हुए परिवादी का कथित इस्तीफा संबंधित सी.ए. द्वारा आर.ओ.सी. के कार्यालय में अपलोड किया गया है, इस इस्तीफे पर परिवादी के हस्ताक्षर नहीं होकर कूटरचित हस्ताक्षर हैं। इस संबंध में सी.ए. द्वारा भी यह इस्तीफा राजेश सैनी द्वारा लाकर दिया जाना बताया है। उनका यह भी निवेदन है कि यदि एक ही कारण से सिविल व आपराधिक दायित्व उत्पन्न होते हैं तो समानान्तर रूप से सारी कार्यवाही संस्थित हो सकती हैं।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा भी याचिका का विरोध किया।

अनुसंधान अधिकारी द्वारा निवेदन किया कि परिवादी के इस्तीफे के संबंध में कोई ई–मेल प्राप्त नहीं होना परिवादी द्वारा बताया गया था, लेकिन इसके संबंध में स्वतंत्र रूप से कोई अनुसंधान नहीं किया गया है, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन है कि कम्पनी के गठन के समय ही निदेशक/भागीदार की जो ई–मेल होती है, उस पर ऑटो जनरेटेड ई–मेल संबंधित व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं, अतः उससे इंकार करने का तथ्य अपने आपमें अस्वाभाविक है।

सुना गया, अभिलेख का अवलोकन किया।

यह स्पष्ट है कि मामला आर.ओ.सी., एन.सी.एल.टी. अथवा सिविल न्यायालय में समानान्तर रूप से लंबित है। अतः दोनों पक्षों के तर्कों, प्रकरण की परिस्थिति आदि को देखते हुए याची–अभियुक्तगण श्रीमती पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया तथा राजेश सैनी द्वारा अनुसंधान में सहयोग करने की शर्त पर आगामी आदेश तक उन्हें पुलिस थाना–रायसर, जयपुर ग्रामीण में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 121/2026 में गिरफ्तार नहीं किये जाने का अन्तरिम आदेश दिया जाता है।

अनुसंधान अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से इस मामले में गहन अनुसंधान कर तथ्यात्मक रिपोर्ट विद्वान लोक अभियोजक के माध्यम से न्यायालय के समक्ष सुनवाई की आगामी तिथि पर प्रस्तुत करें।

प्रकरण चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किये जावें।

(UMA SHANKER VYAS),J

Crt_7/D-A/23-24/Mittal